

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य / बजट / बी-3 / 25212 / 2022-23

दिनांक 16.8.2022

रामरत जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा

विषय : वर्ष 2021-22 के बकाया पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के भुगतान हेतु अधिकृति वर्ष 2022-23

प्रसंग : इस कार्यालय के छात्रवृत्ति अनुभाग के आदेशांक शिविरा-मा / छाप्रोप्र / ओबीसी / सीएसएस / 2021-22 / 172 दिनांक 31.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्ष 2021-22 के बकाया आवेदन पत्रों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग के SNA ACCOUNT NO 50100487402273 के अन्तर्गत उनके सामने अंकितानुसार सीमा में व्यय करने हेतु अधिकृत किया जाता है :- (राशि रूपयों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	एसएनए खाता संख्या RJ 12	प्राप्त कुल आवेदन	आवेदन जिनको आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।	केन्द्रीय निधि 50% (500/-रूपये प्रति विद्यार्थी)	राज्य निधि 50% (500/-रूपये प्रति विद्यार्थी)	कुल आवंटन (1000/-रूपये प्रति विद्यार्थी)
1	AJMER	16289	RJAJ00005819	19228	19228	9614000	9614000	19228000
2	ALWAR	6452	RJAL00008987	17675	17675	8837500	8837500	17675000
3	BARAN	21800	RJBR00004236	7596	7596	3798000	3798000	7596000
4	BARMER	13976	RJBM00008541	30674	30674	15337000	15337000	30674000
5	BHARATPUR	7236	RJBP00005941	10978	10978	5489000	5489000	10978000
6	BHILWARA	17971	RJBW00008024	40140	40140	20070000	20070000	40140000
7	BIKANER	3735	RJBI00006601	20653	20653	10326500	10326500	20653000
8	BUNDI	17137	RJBU00004132	6761	6761	3380500	3380500	6761000
9	CHITTAURGARH	21402	RJCT00005388	21083	21083	10541500	10541500	21083000
10	DAUSA	8914	RJDA00004194	8617	8617	4308500	4308500	8617000
11	DHAULPUR	7576	RJDH00004185	14773	14773	7386500	7386500	14773000
12	DUNGARPUR	20897	RJDU00004900	6883	6883	3441500	3441500	6883000
13	HANUMANGARH	3282	RJHA00004311	13566	13566	6783000	6783000	13566000
14	JAIPUR	10196	RJJP00012921	27690	27690	13845000	13845000	27690000
15	JAISALMER	13291	RJJS00003104	1732	1732	866000	866000	1732000
16	JALORE	14459	RJJI00004267	15836	15836	7918000	7918000	15836000
17	JHALAWAR	22087	RJJW00005623	11652	11652	5826000	5826000	11652000
18	JHUNJHUNUN	5349	RJJJ00006664	11202	11202	5601000	5601000	11202000
19	JODHPUR	13122	RJJO00009057	19824	19824	9912000	9912000	19824000
20	KOTA	21597	RJKO00003994	6621	6621	3310500	3310500	6621000
21	NAGPUR	12261	RJNA00008230	26501	26501	13250500	13250500	26501000
22	PALI	15571	RJPA00005745	14587	14587	7293500	7293500	14587000
23	PRATAPGARH	22191	RJPR00003065	3690	3690	1845000	1845000	3690000
24	RAJSAMAND	18401	RJRA00003961	15180	15180	7590000	7590000	15180000

25	S.MADHOPUR	8468	RJSM00003572	7857	7857	3928500	3928500	7857000
26	SIKAR	11216	RJSK00006730	15452	15452	7726000	7726000	15452000
27	SIROHI	14800	RJSR00002677	7552	7552	3776000	3776000	7552000
28	SRIGANGANAGAR	2735	RJGA00006254	10483	10483	5241500	5241500	10483000
29	TONK	16781	RJTO00004704	6333	6333	3166500	3166500	6333000
TOTAL				420819	420819	210409500	210409500	420819000

(अखरे रूपये बयालीस करोड़ आठ लाख उन्नीस हजार मात्र)

इस बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

- छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
- छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
- अधिकृत राशि वर्ष 2021-22 के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति वितरण के लिए है। वर्ष 2021-22 के विद्यार्थियों को केन्द्रीय सहायता राशि 50 प्रतिशत के आधार पर प्रति लाभार्थी 500/- तथा राज्य हिस्सा 50 प्रतिशत के आधार पर प्रति लाभार्थी को 500/- भुगतान कुल राशि 1000/- उनके बैंक खातों में किया जाना सुनिश्चित करें।
- सत्र 2021-22 में पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना का भुगतान शालादर्पण पोर्टल एवं एसएनए के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
- दिनांक 25.08.2022 तक छात्रवृत्ति का पूर्ण वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।
- जि.शि.अ. भुगतान से पूर्व अंकेक्षण दल कार्यालय महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पुनरावृत्ति उक्त योजनान्तर्गत नहीं होने का पूर्ण ध्यान रखेगी अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेवारी तय की जावेगी।
- भुगतान पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को आवश्यक प्रेषित करेंगे।
- एसएनए के माध्यम से भुगतान हेतु सामान्य निर्देश निम्नानुसार है:-
 (1) समस्त जि.शि.अ. पूर्व की भौति प्राप्त आवेदनों को शालादर्पण पोर्टल पर लॉक अथवा स्वीकृत करेंगे।
 (2) उपरोक्त योजनानुसार एवं सत्रानुसार आवेदन लॉक अथवा स्वीकृत करते समय एसएनए ऑपेशन प्रदर्शित होगा।
 (3) एक बार आवेदन लॉक होने के पश्चात् 24 घण्टे के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी/लाभार्थी एसएनए पर पंजीकृत होगा।
 (4) एक बार समस्त आवेदन लॉक होने के 24 घण्टे पश्चात् जि.शि.अ. प्रत्येक आवेदित विद्यार्थी/लाभार्थी का एसएनए पंजीकरण पर सफलतापूर्वक पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं हुआ इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
 (5) यह आवश्यक नहीं है कि समस्त पंजीकरण सफलतापूर्वक हो अतः जि.शि.अ. एसएनए पंजीकरण हेतु आवेदित पंजीकरण फेल आवेदनों को हटा सकेंगे।
 (6) बिन्दु सं 05 की निरंतरता में ऐसे पंजीकरण फेल आवेदनों की छंटनी करने के पश्चात् जि.शि.अ. शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से Push to SNA button के द्वारा समस्त सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदनों को एसएनए द्वारा भुगतान हेतु अग्रेषित करेंगे।

सत्यमेव जयते

वित्तीय सहायकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 16.08.2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21
प्रतिलिपि :-

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
- सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
- उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
- प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2022-23

दिनांक 16.08.2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा

विषय : वर्ष 2021-22 के बकाया पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 9 व 10) के भुगतान हेतु
अधिकृति वर्ष 2022-23

प्रसंग : इस कार्यालय के छात्रवृत्ति अनुभाग के आदेशांक शिविरा-मा/छाप्रोप्र/एससी/सीएसएस /2021-22
दिनांक 28.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 9 व 10) के वर्ष 2021-22 के बकाया आवेदन पत्रों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग के SNA ACCOUNT NO 50100487109542 के अन्तर्गत उनके सामने अंकितानुसार सीमा में व्यय करने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	एसएनए खाता संख्या RJ 10	प्राप्त कुल आवेदन	आवेदन जिनको आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।	केन्द्रीय निधि 60% (1800/-रूपये प्रति विद्यार्थी)	राज्य निधि 40% (1200/-रूपये प्रति विद्यार्थी)	कुल आवंटन (3000/-रूपये प्रति विद्यार्थी)
1	AJMER	16289	RJAJ00005811	7297	3500	6300000	4200000	10500000
2	ALWAR	6452	RJAL00008986	12824	2565	4617000	3078000	7695000
3	BANSWARA	21127	RJBN00006234	1822	1000	1800000	1200000	3000000
4	BARAN	21800	RJBR00004235	4023	805	1449000	966000	2415000
5	BARMER	13976	RJBM00008540	8465	2200	3960000	2640000	6600000
6	BHARATPUR	7236	RJBP00005940	10079	2739	4930200	3286800	8217000
7	BHILWARA	17971	RJBW00008022	10763	3700	6660000	4440000	11100000
8	BIKANER	3735	RJBI00006600	8335	3700	6660000	4440000	11100000
9	BUNDI	17137	RJBU00004131	3987	797	1434600	956400	2391000
10	CHITTAURGARH	21402	RJCT00005387	5685	1137	2046600	1364400	3411000
11	CHURU	4492	RJCR00005181	11605	2321	4177800	2785200	6963000
12	DAUSA	8914	RJDA00004193	8751	1750	3150000	2100000	5250000
13	DUNGARPUR	20897	RJDU00004901	1233	247	444600	296400	741000
14	JAIPUR	10196	RJJP00012922	14933	2652	4773600	3182400	7956000
15	JAISALMER	13291	RJJS00003105	1043	209	376200	250800	627000
16	JALORE	14459	RJJO00004268	9333	2500	4500000	3000000	7500000
17	JHALAWAR	22087	RJJW00005624	4680	936	1684800	1123200	2808000
18	JHUNJHUNUN	5349	RJJJ00006665	6747	1349	2428200	1618800	4047000
19	JODHPUR	13122	RJJO00009056	10794	3600	6480000	4320000	10800000
20	KARAULI	8055	RJKA00004093	9288	1500	2700000	1800000	4500000
21	KOTA	21597	RJKO00003990	4919	984	1771200	1180800	2952000
22	NAGAU	12261	RJNA00008229	14457	2500	4500000	3000000	7500000
23	PALI	15571	RJPA00005744	7496	1499	2698200	1798800	4497000
24	PRATAPGARH	22191	RJPR00003064	1349	270	486000	324000	810000

25	RAJSAMAND	18401	RJRA00003960	3636	727	1308600	872400	2181000
26	S.MADHOPUR	8468	RJSM00003571	5392	1078	1940400	1293600	3234000
27	SIKAR	11216	RJSK00006729	9413	1500	2700000	1800000	4500000
28	SIROHI	14800	RJSR00002676	4759	952	1713600	1142400	2856000
29	SRIGANGANAGAR	2735	RJGA00006255	12120	2424	4363200	2908800	7272000
30	TONK	16781	RJTO00004703	3711	742	1335600	890400	2226000
31	UDAIPUR	20688	RJUD00009097	3730	746	1342800	895200	2238000
TOTAL				222669	52629	94732200	63154800	157887000

(अखरे रूपये पन्द्रह करोड़ अठहत्तर लाख सैत्तयासी हजार मात्र)

इस बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

- छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
- छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
- अधिकृत राशि वर्ष 2021-22 के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति वितरण के लिए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार 60 प्रतिशत हिस्सा राशि केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है। अतः वर्ष 2021-22 के विद्यार्थियों को केन्द्रीय सहायता राशि 60 प्रतिशत के आधार पर प्रति लाभार्थी 1800/- तथा राज्य हिस्सा 40 प्रतिशत के आधार पर प्रति लाभार्थी को 1200/- भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाना सुनिश्चित करें।
- सत्र 2021-22 में पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना का भुगतान शालादर्पण पोर्टल एवं एसएनए के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
- दिनांक 25.08.2022 तक छात्रवृत्ति का पूर्ण वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।
- जि.शि.अ. भुगतान से पूर्व अंकेक्षण दल कार्यालय महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पुनरावृत्ति उक्त योजनान्तर्गत नहीं होने का पूर्ण ध्यान रखेगे अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेवारी तय की जावेगी।
- भुगतान पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को आवश्यक प्रेषित करेंगे।
- एसएनए के माध्यम से भुगतान हेतु सामान्य निर्देश निम्नानुसार है:-
 - (1) समस्त जि.शि.अ. पूर्व की भौति प्राप्त आवेदनों को शालादर्पण पोर्टल पर लॉक अथवा स्वीकृत करेंगे।
 - (2) उपरोक्त योजनानुसार एवं सत्रानुसार आवेदन लॉक अथवा स्वीकृत करते समय एसएनए ऑप्शन प्रदर्शित होगा।
 - (3) एक बार आवेदन लॉक होने के पश्चात् 24 घण्टे के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी/लाभार्थी एसएनए पर पंजीकृत होगा।
 - (4) एक बार समस्त आवेदन लॉक होने के 24 घण्टे पश्चात् जि.शि.अ. प्रत्येक आवेदित विद्यार्थी/लाभार्थी का एसएनए पंजीकरण पर सफलतापूर्वक पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं हुआ इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
 - (5) यह आवश्यक नहीं है कि समस्त पंजीकरण सफलतापूर्वक हो अतः जि.शि.अ. एसएनए पंजीकरण हेतु आवेदित पंजीकरण फेल आवेदनों को हटा सकेंगे।
 - (6) बिन्दु सं 05 की निरंतरता में ऐसे पंजीकरण फेल आवेदनों की छंटनी करने के पश्चात् जि.शि.अ. शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से Push to SNA button के द्वारा समस्त सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदनों को एसएनए द्वारा भुगतान हेतु अग्रेषित करेंगे।

वित्तीय प्रलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 16.8.2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य / बजट / बी-3 / 25212 / 2020-21
प्रतिलिपि :-

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
- सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
- उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, _____
- प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर